

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 546 / 2013
संस्थान दिनांक 30.09.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

संतोष पिता रामलाल वर्मा, आयु 33 वर्ष
निवासी- सरदार पटेल मार्ग वार्ड 5
महेश्वर, थाना महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29 / 07 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 177 / 2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, एवं धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 6 सहपठित धारा 11 में दिनांक 30.09.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21.08.2013 को समय प्रातः 3:30 बजे, ए.बी. रोड़ घोलान्या-टेमला फाटे पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में नग 12 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के नग 12 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन आयशर क्रमांक एम. पी. 09 जी. एफ. 5153 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 12 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 21.08.2013 को थाना ठीकरी के सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान हमराह आरक्षक प्रसांत के साथ भ्रमण के दौरान ए.बी. रोड़ खरगोन फाटे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में बैलों को ठूस-ठूसकर भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। सूचना पर ए.बी. रोड़ न्यू लक्ष्मी ढाबे पर कमल व कशीराम को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया व न्यू लक्ष्मी ढाबा (राजस्थानी ढाबा) के पास ए.बी. रोड़ सपर ठीकरी की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करते आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 आते दिखाई दी, जिसे रोककर चेक करने पर उक्त वाहन त्रिपाल ढंकी होकर उसमें नग 12 बैल थे, जिनके मुँह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने उक्त वाहन को रोका और उसका चालक वाहन को छोड़कर भाग गया, जिसका पिछा पुलिस द्वारा किये जाने पर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने घटनास्थल पर ही पंच साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से उक्त वाहन मय 12 बैलों के जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 177/2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, 1960 एवं धारा 4, 6, 9 कृषिक पशु प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 6 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण कमल एवं काशीराम के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, एवं धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 6 सहपठित धारा 11 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्त दिनांक 21.08.2013 को समय प्रातः 3:30 बजे, ए.बी. रोड़ घोला न्या-टेमला फाटे पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में नग 12 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जा रहा था ?
2. क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 12 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाया गया ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 12 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कमल (अ.सा.1), काशीराम (अ.सा.2), डॉक्टर दिनेश पटेल (अ.सा.3) एवं सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 21.08.13 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा आरक्षक प्रशांत के साथ ए.बी. रोड़ खरगोन फाटे पर गश्त कर रहा था वहाँ मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में अवैध रूप से बैलों को ठूसदूकर भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। सूचना पर ए.बी. रोड़ न्यू लक्ष्मी ढाबे पर कमल व काशीराम को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया व न्यू लक्ष्मी ढाबा (राजस्थानी ढाबा) के पास ए.बी. रोड़ पर ठीकरी की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करते आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 आते दिखाई दी, जिसे रोककर चेक करने पर उक्त वाहन त्रिपाल ढंकी होकर उसमें नग 12 बैल थे,

जिनके मुँह एवं पैर बंधे हुए थे। उसने उक्त वाहन को रोका और उसका चालक वाहन को छोड़कर भाग गया जिसका पिछा उनके द्वारा किये जाने पर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसने घटनास्थल पर ही पंच साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से उक्त वाहन मय 12 बैलों के जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया जिसके सी से सी एवं डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा वाहन को थाने पर लाकर अपराध क्रमांक 177/2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, 1960 एवं धारा 4, 6, 9 कृषिक पशु प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 6 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की जिसके ए से ए बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उसने साक्षीगण कमल एवं काशीराम के कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 30.08.2013 को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त वाहन चालक का ढाबे पर सामान छूट गया था और चालक अपना छूटा हुआ सामान लेने आया था तब वह ढाबे पर पहुँचा और अभियुक्त को लेकर थाना ठीकरी पर आया और अभियुक्त से घटना के संबंध में पूछताछ की। उसने अभियुक्त को थाने पर गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने 12 बैलों का चिकित्सीय परीक्षण पशु चिकित्सक के करवाया था और जप्त वाहन एवं बैलों को राजसात की कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से जिला कलेक्टर बड़वानी को पत्र भेजा था।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गुरुवार के दिन राजपुर में हाट बाजार एवं पशु बाजार लगता है, जहाँ अच्छी किश्म के पशु का क्रय-विक्रय कृषक लोग करते हैं और अपने पशुओं को लाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर मोटरसाईकिल से गया था और अपराध की विवेचना के लिए जाने पर थाने के रोजनामचे पर रवानगी एवं वापसी का इंद्राज किया जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि रवानगी रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वापसी रोजनामचा प्रदर्शपी 1 में क्रमांक दिखाई नहीं दे रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल ए.बी. रोड से सेकड़ों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने किसी भी व्यक्ति के आधिपत्य से उक्त वाहन एवं बैल जप्त नहीं किये थे, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपनी विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

9. कमल असा 1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व खुरमपुरा में न्यू लक्ष्मी ढाबे पर चौकीदार का काम करता था। रात्रि लगभग 3:30 बजे थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह ने ढाबे के पास से एक आयशर वाहन जिसमें 12 बैल भरे थे, प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि मेहताबसिंह चौहान ने उसे बताया था कि आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 में बैल भरकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे हैं और प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह ने किराना

दुकान से काशीराम को बुलाकर आयशर वाहन में बैल आने की बात बताई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि ठीकरी से आने वाले वाहनों की जाँच की गई तो उक्त वाहन में त्रिपाल ढंकी थी और उक्त वाहन में उसके सामने बैल जप्त किये थे। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह वाहन का रंग नहीं देख पाया था। मेहताबसिंह उसके पास आये थे और उसे बुलाया था। उसने 2 व 3 कागजों पर हस्ताक्षर किये थे और जिन कागजों पर हस्ताक्षर किये थे उसे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने उसे उक्त कागज पढ़कर उसे यह बताया था कि उनमें 12 बैल भरे हुए हैं यह लिखा है। उसने पुलिस के 5-6 अन्य प्रकरणों में भी गवाही दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब उसने प्रदर्शपी 1 से 2 पर हस्ताक्षर किये उस समय पुलिस और उसके अतिरिक्त अन्य कोई ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। उसने अभियुक्त को घटनास्थल पर देखा था। अभियुक्त वहाँ से भाग गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर बिजली का कोई साधन नहीं था और वाहन की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दिया था। उसके ढाबे में ही प्रकरण बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाया था, उसने अभियुक्त को पीछे से देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने कोई वाहन या बैल जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के अन्य प्रकरणों में कथन दिये हैं, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस को जब आवश्यकता होती है, तब उससे हस्ताक्षर करवाते हैं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके समक्ष जो घटना होती है, उसी के संबंध में हस्ताक्षर करवाते हैं।

10. काशीराम असा 2 का कथन है कि ढेड़ वर्ष पूर्व रात्रि 4-5 बजे खुरमपुरा की ओर से बैल भरकर आये थे। बैल कौन लाया था उसे नहीं मालूम। वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। पुलिस ने लिखा-पढ़ी की थी, उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह घटनास्थल पर आये थे, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि मेहताबसिंह ने उसे बताया था कि आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी. एफ. 5153 में बैल भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे थे, तब वह पुलिस के साथ गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 10 के जप्ती पंचनामे पर उसने घटनास्थल पर हस्ताक्षर किये थे और वाहन एवं बैलों को जप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पुलिस के साथ घोलानिया फाटे पर नहीं गया था। उसकी दुकान पर आयशर वाहन पुलिस वाले लेकर आये थे। इसलिए घटनास्थल पर अभियुक्त को नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने बैलों की गितनी नहीं की थी और उसे भी गिनने के लिए नहीं कहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब उसने आयशर देखी थी तब उसका मुँह ठीकरी की ओर था, महाराष्ट्र की ओर नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के कहने पर पंचनामों पर बिना पढ़े व सुने हस्ताक्षर कर दिये थे।

11. डॉ. दिनेश पटेल असा 3 ने दिनांक 21.08.2013 को उसे पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी द्वारा 12 बैलों का चिकित्सीय परीक्षण करने हेतु निवेदन का पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त बैलों का परीक्षण वृंदावन गौशाला ठीकरी में जाकर करने पर उन्हें स्वस्थ एवं कृषि कार्य के लिए उपयोगी पाया। उसने अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जिन 4 बैलों को मामूली चोंट के निशान थे वह गोशाला में पशुओं के आपास में लड़ने से आना संभव है।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से अभियुक्त के आधिपत्य से मेहताबसिंह असा 4 ने उक्त वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 और उसमें भरे 12 बैल जप्त नहीं किये थे, बल्कि साक्षी का स्पष्ट कथन है कि वाहन का चालक अंधेरे का फायदा लेकर वाहन छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना दिनांक से लगभग 9 दिवस पश्चात् अभियुक्त को ढाबे से गिरफ्तार करने के संबंध में और अभियुक्त द्वारा घटना वाले दिन आयशर वाहन चलाने की स्वीकारोक्ति करने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन अभियुक्त का उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अंतर्गत अपराध की स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। शेष अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने जाने पर अभियुक्त से उक्त वाहन में भरे हुए 12 बैल जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि वे अंधेरे में वाहन चालक को नहीं देख पाये थे और घटना के समय रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 में कूरतापूर्वक 12 बैलों को भरकर उनका वध करने के आशय से परिवहन किया जा रहा था।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा बैल तथा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 के अधिग्रहण की कार्यवाही जिला कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है। अतः इस संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त असलम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त संतोष के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 5153 एवं जप्त बैल के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही जिला कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है। अतः इस संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

